न्यायालय उप तहसीलदार हरसाणी, जिला बाड़मेर

प्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये
पटवारी हल्का [illegible]

बनाम

विप्रार्थी
रोजा खां / मोहम्मद खां
मु. बिकुसी

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 118 / 2024

–ःनिर्णयः–

पत्रावली आज बमुकाम हरसाणी में पेश हुई। विप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित। पटवारी हल्का [illegible] उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का .... ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विप्रार्थी ने ग्राम बिकुसी के खसरा नम्बर 214 कुल क्षेत्रफल 21.8530 हैक्टेयर किस्म गै. मु. धोरा में 4.016 हैक्टेयर पर [illegible] अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का [illegible] की रिपोर्ट के अनुसार विप्रार्थी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया।

अतः विप्रार्थी को भू राजस्व अधिनियम 1956 धारा 91 के तहत राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी घोशित किया जाता है। उक्त अतिक्रमित राजकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है। साथ ही विप्रार्थी पर राशि 50 अक्षरे पचास रूपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। जो विप्रार्थी से वसुल किया जावे।

निरीक्षक (भू.अ.) [illegible] को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त अतिक्रमित राजकीय भूमि पर खड़ी फसल को तत्काल कब्जा वहक सरकार प्राप्त कर फसल निलाम कर निलामी फर्द वास्ते अनुमोदनार्थ एवम् स्वीकृति हेतु 15 दिवस में पेश करे।

पटवारी हल्का [illegible] को आदेशित किया जाता है कि गैरसायल को उक्त राजकीय भूमि में से भौतिक रूप से बेदखल कर राजकीय भूमि को कब्जा वहक सरकार प्राप्त कर पालना पेश करें। मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 10-02-25 को खुले न्यायालय में सूनाया गया।

उप तहसीलदार
हरसाणी
नायब तहसीलदार
हरसाणी
जिला-बाड़मेर(राज.)